राजस्थान से जाने व बाहर से आने वाले श्रमिकों/प्रवासियों को लाने ले जाने को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी-एसीएस उद्योग डॉ. अग्रवाल

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
RK-26-04-2020-7.docx (http://103.203.138.54/news/206190/document/RK-26-04-2020-7.docx)

DESCRIPTION

राजस्थान से जाने व बाहर से आने वाले श्रमिकों/प्रवासियों को लाने ले जाने को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी-एसीएस उद्योग डॉ. अग्रवाल

जयपुर, 26 अप्रेल। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राजस्थान से जाने व बाहर से आने वाले श्रमिकों/प्रवासियों को लाने ले जाने को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार हॉट स्पॉट के अतिरिक्त अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों/प्रवासी जो निजी वाहन से कर्फ्यू पास से आ रहे हैं उन्हें नियत गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर क्वारंटाइन किया जाए। इसी तरह से निजी वाहन से राजस्थान से बाहर जाने वाले श्रमिकों/प्रवासियों को जिला कलक्टर द्वारा चरणबद्ध तरीके से पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट/बसों से राजस्थान में आने वाले श्रमिकों/प्रवासियों के लिए एक एकीकृत कॉल सेंटर 1800-180-6127, emitra.rajasthan.gov.in तथा rajcovidinfo मोबाइल एप पर रजिस्ट्रेशन व मोबाइल एप की सेवाएं ले सकेंगे। पंजीकरण के बाद संबंधित राज्य की सहमति प्राप्त कर चरणबद्ध तरीके से लाने ले जाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि अनावश्यक भीड़ ना हो सके। उन्होंने बताया कि गंतव्य स्थल के लिए रवाना होने से पूर्व इनकी प्स्प् के लक्षणों की स्क्रीनिंग की जाएगी और गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर क्वारंटाइन किया जाएगा।

एसीएस उद्योग डॉ. अग्रवाल ने बताया कि दि6ाा-निर्देशों के अनुसार राज्य में आंतरिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। सीमावर्ती जिलों में बोर्डर चेकपोस्ट के पास भोजन, पेयजल,
शौचालय एवं चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। वहीं पर पंजीयन करने के बाद संबंधित जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा और आईटी विभाग द्वारा विकसित एप को उनके मोबाइल में डाउनलोड़ किया जाएगा। विद्यालय/महाविद्यालय एवं अन्य राजकीय भवनों को अधिगृहित कर गंतव्य स्थान के अनुसार जिलावार ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। सीमावर्ती जिलों में बार्डर चेक पोस्ट पर ट्रांजिट कैंप में पुलिस, पटवारी, ग्रामसेवक, परिवहन, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को आने जाने वाली बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बेहतर उपयोग करते हुए रास्ते में आने वाले जिला कलक्टरों से भी समन्वय बनाएंगे।